रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012020-215377
CG-DL-E-13012020-215377

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2020/पौष 17, 1941
No. 101] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2020/PAUSHA 17, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2020

का.आ. 109(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–31 के 961.500 कि.मी. से 1126.000 (गुवाहाटी- नलबाड़ी बिजनी) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–31सी के 0.000 कि.मी. से 93.000 कि.मी. (बिजनी से पश्चिम बंगाल/असम सीमा) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या

का.आ. 20 (अ) तारीख 01.01.2015 के अधिक्रमण में, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गईं हैं अथवा करने में लोप करा दी गईं हैं, एतद्वारा यांत्रिक वाहनों पर चार और उससे अधिक लेन खण्ड के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर से सड़क खंड की निवल लंबाई 111.887 कि. मी. और 19.99 कि. मी. की संरचना समकक्ष लंबाई (जिसकी लंबाई 60 मी. से अधिक है) (लंबाई 1.999 कि.मी.है) हेतु नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के गुवाहाटी से नलबाड़ी-बिजनी सेक्शन के 961.500 कि. मी. से 1013.000 कि. मी. और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 31सी के बिजनी से पश्चिम बंगाल/असम सीमा सेक्शन के 30.000 कि. मी से 93.000 कि. मी. तक पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्-

सारणी1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 08-2007 के लिए प्रति कि.मी . शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी) एच (एम॰.सी.या अर्थ मूविंग उपस्कर) ई.एम (ई.या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी) (.चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान(चैनेज)	सड़क की लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
असम राज्य में, रारासी 31- के पटगांव (कोकराझार जिले में) के निकट, पर (डिज़ाइन चेनेज) किमी 49.600	61.527 (0.859)किमी की संरचनाओं को छोड़कर जिनकी लंबाई (से अधिक है .मी 60	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%
असम राज्य में, रारा 971.200 के 31- किमी(चिरंग जिले में दहलपाड़ा के निकट)पर	किमी 50.36 1.14(किमी की संरचनाओं को छोड़कर जिनकी लंबाई से अधिक है) .मी 60	
कुल	111.887	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर (प्लाजाओं), निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं* की लम्बाई	सड़क की समकक्ष लम्बाई(कि. मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है

	(कि. मी. में)		
असम राज्य में, रारासी 31- के पटगांव (कोकराझार जिले में) के निकट, किमी 49.600 पर (डिज़ाइन चेनेज)	0.859*	8.59	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%
असम राज्य में, रारा किमी 971.200 के 31- (चिरंग जिले में दहलपाड़ा के निकट)पर	1.140**	11.40	
कुल लंबाई	1.999	19.99	

* 60 मी से अधिक लंबाई की संरचना का ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्रम सं.	चैनेज(किमी)		संरचना की प्रकृति	लंबाई(किमी)
	से	तक		
1	62.743	62.918	बड़ा पुल	0.175
2	88.09	88.151	आरओबी	0.061
3	33.972	34.129	बड़ा पुल	0.157
4	41.256	41.344	बड़ा पुल	0.088
5	45.106	45.194	बड़ा पुल	0.088
6	45.488	45.576	बड़ा पुल	0.088
7	46.813	47.015	बड़ा पुल	0.202
			कुल	0.859

** 60 मी से अधिक लंबाई की संरचना का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	चैनेज(किमी)		संरचना की प्रकृति	लंबाई(किमी)
	से	तक		
1	882.60	882.807	बड़ा पुल	0.207
2	892.10	892.493	बड़ा पुल	0.393
3	963.70	964.033	बड़ा पुल	0.333
4	975.005	975.212	बड़ा पुल	0.207
			कुल	1.140

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2019-20 के लिए मासिक पास की दर 265.00/-रूपए (दो सौ पैंसठ रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन(राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर)के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का **50%** होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को रारा शुल्क नियम,के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा (ए1) 10 के नियम 2008 तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम **12** के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष **2007-08** के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के **नियम 5** के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की पूंजीगत लागत की वर्तमान लागत (12)1216.72 2045.30 करोड़ रुपये और 828.58 करोड़ रुपये है। पूं जी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[भाराराप्रा/13013/680/सीओ/14-15/जीसी/बोंगईगाँव(962.2-1023.9)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, 7th January, 2020

S.O. 109(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways No. S.O. 465 (E) dated 26th April'2002 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km.0.000 to Km. 93.000 (Bijni to West Bengal/Assam Border) of National Highway No. 31C and Km.961.500 to Km.1126.000 (Guwahati – Nalbari Bijni) of National Highway No. 31 in the State of Assam to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules") and in supersession of the notification number S.O. 20 (E) dated 01.01.2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 111.887 km. for the use of four and more alone section and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 19.99 km. (having length of 1.999 km.) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Bijni to West Bengal/ Assam border section from km 30.000 to km. 93.000 of NH-31C and Guwahati to Nalbari- Bijni section from km 961.500 to km 1013.000 of NH-31 in the State of Assam and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for the length specified for such Fee Plaza:

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	**Road Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At km 49.600 (design chainage) near village Patgaon in Kokrajhar district) of NH-31C in the State of Assam	61.527 (Excluding 0.859 Km. length of structure >60 m)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 971.200 (near Dahalapara in District Chirang) of NH-31 in the State of Assam	50.36 Km. (Excluding 1.14 Km. length of structure >60 m)	
Total	**111.887**	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Table-3

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 49.600 (design chainage) near village Patgaon in Kokrajhar district) of NH-31C in the State of Assam	0.859*	8.59	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km. 971.200 (near Dahalapara in District Chirang) of NH-31 in the State of Assam	1.140**	11.40	
Total length	1.999	19.99	

*Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Chainage (Km.)		Type of Structure	Length (in km)
	From	To		
1.	62.743	62.918	Major Bridge	0.175
2.	88.09	88.151	ROB	0.061
3.	33.972	34.129	Major Bridge	0.157
4.	41.256	41.344	Major Bridge	0.088
5.	45.106	45.194	Major Bridge	0.088
6.	45.488	45.576	Major Bridge	0.088
7.	46.813	47.015	Major Bridge	0.202
			Total	**0.859**

**Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Chainage (Km.)		Type of Structure	Length (in km)
	From	To		
1.	882.60	882.807	Major Bridge	0.207
2.	892.10	892.493	Major Bridge	0.393
3.	963.70	964.033	Major Bridge	0.333
4.	975.005	975.212	Major Bridge	0.207
			Total	**1.140**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.265.00 (Rupees Two Hundred Sixty Five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-4

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, as per Rule 10 (1A) of NH Fee Rule 2008 and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The present value of capital cost of the project is Rupees 2045.30 Cr. (Rs.1216.72 Crore. and Rs.828.58 Cr.) The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/680/CO/14-15/GC- Bongaigaon (962.2 – 1023.9)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.13 22:36:21 +05'30'